न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अधिकारी सिवाना
पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 99/2020

प्रार्थी:–

प्रेमसिंह @ पेमसिंह @ प्रेमाराम पुत्र गणेशाराम जति राजपुरोहित निवासी ग्राम अर्जियाण तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. अनोपसिंह उर्फ अनोपाराम पुत्र गणेशाराम पुरोहित निवासी अर्जियाणा
2. अपसिंह पुत्र नैनाराम पुरोहित निवासी अर्जियाणा
3. कमलेश पुत्र मालसिंह पुरोहित निवासी अर्जियाणा
4. कैलाशदेवी पुत्री मालसिंह पुरोहित निवासी अर्जियाणा
5. जबरसिंह पुत्र मालसिंह पुरोहित निवासी अर्जियाणा
6. दीपसिंह पुत्र नैनाराम पुरोहित निवासी अर्जियाणा
7. नरपतसिंह पुत्र मालसिह पुरोहित निवासी अर्जियाणा
8. नारायणसिंह पुत्र नैनाराम पुरोहित निवासी अर्जियाणा
9. नारायणीदेवी पुत्री मालसिंह पुरोहित निवासी अर्जियाणा
10. पाचुसिंह पुत्र मालसिंह पुरोहित निवासी अर्जियाणा
11. माफीदेवी पुत्री मालसिंह पुरोहित निवासी अर्जियाणा
12. लीलादेवी पत्नी मालसिंह पुरोहित निवासी अर्जियाणा
13. बैरीसाल पुत्र नैनाराम पुरोहित निवासी अर्जियाणा
14. हक्मसिंह पुत्र नैनाराम पुरोहित निवासी अर्जियाणा तहसील सिवाना
15. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 06.08.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम बीजलिया पटवार हल्का देवन्दी तहसील सिवाना में खसरा संख्या 156,30 व 35 रकबा क्रमशः 01.3678,01.4893 व 01.6996 हैक्टयर सरहद मौजा अर्जियाण पटवार मण्डल देवन्दी तहसील सिवाना में खसरा संख्या 110, 189, 203, 204,41,64,72,75 व 202 रकबा क्रमशः 02.2177,00.5827,01.1007,01.4164, 03.9417, 01.1574,01.9749,01.2140 व 00.9227 हैक्टयर तथा सरहद मौजा दुर्गापुरा पटवार मण्डल देवडा तहसील [illegible] में खसरा संख्या 389 रकबा 32.15 बीघा भूमि आई हुई है। प्रार्थी के [illegible] फौतदगी नामान्तरकरण भरते समय आम ग्रामीण भाषा के अनुसार बोले जाने वाले नाम के कारण [illegible]सिंह पुत्र गुणेशा के नाम से दर्ज कर दिया गया गणेशाराम के पुत्र प्रेमसिंह @ पेमसिंह @ प्रेमाराम के नाम से प्रार्थी ही एक मात्र पुत्र है मगर आम ग्रामीण भाषा में प्रेमसिंह के पेमसिंह, प्रेमाराम के नाम से जाने पहचाने जाने से प्रार्थी का नाम अलग–अलग खतौनियो में पेमसिंह,प्रेमाराम नाम फौतगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:41:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

म्यूटेश्न गुणेशाराम का दर्ज किये जाने वक्त लिख दिया गया जो राजस्व कर्मचारी द्वारा सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी के नाम की जांच किये बिना लिख दिया गया,जो राजस्व कर्मचारी द्वारा सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी के नाम की जांच किये बिना लिख दिया गया, खातेदारी कृषि भूमि में गलत इन्द्राज होने से प्रार्थी को कई परेशानियों का सामना करना पडता है। प्रार्थी का समस्त राजकीय दस्तावेज यथा आधारकार्ड, परिवार राशनकार्ड, मिनी सहाकरी बैंक द्वारा जारी बचत खाता पास बुक,एसबीआई शाखा सिवाना द्वारा जारी बैक पास बुक, दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम प्रेमसिंह पुत्र गणेश दर्ज है फौतदगी नामान्तरकरण भरते समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से घर पर बोले जाने वाले नाम के कारण पेमसिंह व प्रेमाराम दर्ज कर दिया । अतः उक्त त्रृटि को दुरूस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील सुदा प्राप्त। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्व पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम बीजलिया पटवार हल्का देवन्दी तहसील सिवाना में खसरा संख्या 156,30 व 35 रकबा क्रमशः 01.3678,01.4893 व 01.6996 हैक्टयर सरहद मौजा अर्जियाणा पटवार मण्डल देवन्दी तहसील सिवाना में खसरा संख्या 110, 189, 203, 204,41,64,72,75 व 202 रकबा क्रमशः 02.2177,00.5827,01.1007, 01.4164, 03.9417, 01.1574,01.9749,01.2140 व 00.9227 हैक्टयर तथा सरहद मौजा दुर्गापुरा पटवार मण्डल देवडा तहसील समदडी में खसरा संख्या 389 रकबा 32.15 बीघा भूमि आई हुई है। प्रार्थी का नाम फौतदगी नामान्तरकरण भरते समय आम ग्रामीण भाषा के अनुरूप पुकारे जाने वाले नाम के कारण पेमसिंह पुत्र गणेशा के नाम से दर्ज कर दिया गया गणेशाराम के पुत्र प्रेमसिंह@पेमसिंह@प्रेमाराम के नाम से प्रार्थी ही एक मात्र पुत्र है मगर आम ग्रामीण भाषा में प्रेमसिंह के पेमसिंह, प्रेमाराम के नाम से जाने पहचाने जाने से प्रार्थी के नाम अलग–अलग खतौनियो में पेमसिंह,प्रेमाराम नाम फौतगी म्यूटेश्न गुणेशाराम का दर्ज किये जाने वक्त लिख दिया गया जो राजस्व कर्मचारी द्वारा सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी के नाम की जांच किये बिना लिख दिया गया, जिसे दुरूस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:41:02 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड,परिवार राशनकार्ड, मिनी सहाकरी बैंक द्वारा जारी बचत खाता पास बुक, एसबीआई शाखा सिवाना इत्यादि में प्रार्थी का नाम प्रेमसिंह पुत्र गणेशाराम अंकित है । फौतदगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना जांच किये प्रार्थी का नाम अलग अलग खतौनियों में पेमसिंह व प्रेमाराम अंकित कर दिया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि सरहद मौजा बिजलीया पटवार मण्डल देवन्दी के खेत खसरा संख्या 156,30 व 35 रकबा क्रमशः 01.3678,01.4893 व 01.6996 हैक्टयर सरहद मौजा अर्जियाणा पटवार मण्डल देवन्दी तहसील सिवाना में खसरा संख्या 110, 189, 203, 204,41,64,72,75 व 202 रकबा क्रमशः 02.2177,00.5827, 01.1007,01.4164, 03.9417, 01.1574,01.9749,01.2140 व 00.9227 हैक्टयर तथा सरहद मौजा दुर्गापुरा पटवार मण्डल देवडा तहसील समदडी में खसरा संख्या 389 रकबा 32.15 बीघा भूमि में अंकित अशुद्ध नाम " पेमाराम व प्रेमाराम " के स्थान पर "प्रेमसिंह पुत्र गणेशाराम" शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना/समदडी आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 08.06.20.. खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:41:02 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)